

प्रारूप-5

परियोजना विवरण :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में कुणजखाल - बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, नो. नि. वि.
पौड़ी गढ़वाल


अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड नो. नि. वि.
पौड़ी

ह0/
 प्रयोक्ता एजेन्सी


 JE

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 324/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पोखड़ा में कुणजखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कुणजखाल-बरसुण्ड मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2997/111(2)/15-16 (मु०मं०घो०) दिनांक 08/05/2015 के द्वारा 4 कि०मी० लम्बाई हेतु रुपये 32.18 लाख की प्राप्त हुई है।

मोटर मार्ग के समरेखण हेतु दो स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य किया गया। प्रस्तावित समरेखण कुणजखाल-कोलाखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 01 (हैमी० 0-2) से प्रारम्भ होगा।

समरेखण नं० 1- नक्शे पर लाल रंग से चिह्नित इस प्रस्तावित समरेखण का अधिकांश भाग 1:17, 1:18, 1:20, 1:30 एवं 1:40 के चढ़ते ग्रेड में प्रस्तावित है। इस समरेखण में कुल 04 हेयर पिन बैड प्रस्तावित किये गये हैं। इस समरेखण से बरसुण्डा ग्राम आंशिक रूप से लाभान्वित होगा। प्रस्तावित समरेखण नाप एवं सिविल सोयम भूमि से होकर गुजरता है। इस समरेखण पर ग्रामवासीयों एवं जनप्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त हुई है। प्रस्तावित समरेखण से ग्रामीणों के चारागाह एवं पनघट को क्षति भी नहीं हो रही है। ग्राम बरसुण्डा को पूर्ण रूप से जुड़ने हेतु 3 कि०मी० मोटर मार्ग की ओर आवश्यकता होगी।

समरेखण नं० 2- नक्शे पर हरे रंग से चिह्नित इस समरेखण का अधिकांश भाग 1:17, 1:18, 1:20 एवं 1:40 के चढ़ते ग्रेड में प्रस्तावित है। इस समरेखण में कुल 06 हेयर पिन बैड प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्तावित समरेखण नाप एवं सिविल सोयम भूमि से होकर गुजरता है। इस प्रस्तावित समरेखण से ग्रामीणों की नगदी फसलों के उपजाऊ खेत एवं प्राकृतिक पेयजल स्रोत क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस समरेखण पर ग्रामवासीयों की सहमति प्राप्त नहीं है। इस प्रस्तावित समरेखण से ग्राम बरसुण्डा को पूर्ण रूप से जुड़ने हेतु 4.500 कि०मी० मोटर मार्ग की ओर आवश्यकता होगी।

क्र०सं०	गांव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या
1.	बरसुण्डा	00795000	66

अतः समस्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये तथा तुलनात्मक विवरण के आधार पर समरेखण सं० 1 जो कि मानचित्र पर लाल रंग से दर्शाया गया है। स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. PWD, P.O.

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या- 2997 / 111(2)/15-06(मु०म०घो०)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 08 मई, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 35 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 35 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 147.00 किमी० + 08 सेतु है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1792.11 लाख (सत्तरह करोड़ बयानवे लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 35 कार्यों हेतु ₹ 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महानहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested

Engineer

W.D. P.

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जावेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-76(1)/XXVII(2)/2015 दि०- 06 मई, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 2997 / 111(2)/15-06(मु०मं०घ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबसाय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए०रस्त० पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

-6-

शासनादेश संख्या:- 2887/111(2)/15-06(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 08 मई, 2015 का संलग्नक

32	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या-334/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के अन्तर्गत बीरौखाल साबली, खाटली मिलान के लिए चौडला महादेवसैण में पुल का निर्माण।	50 mtr.	3.50	0.10
33	मा0 मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या-333/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-चौबट्टाखाल के अन्तर्गत नन्वाखेत कफलसार मोटर मार्ग का पंचपुरी तक विस्तारीकरण का कार्य।	6.00 + 40 mtr.	47.32	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-346/2013 के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में लुढ़धर से बड़ेथ धापला बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	17.55	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-324/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विकास खण्ड पोखड़ा में कुंजखाल बरसुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	32.18	0.10
योग:-		147.00 + 08 Brg	1792.11	3.50

(कुल २ तीन लाख पचास हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
C.D. P.W.D. Pauri